संख्या- 10 /2017- 58 ई-2/तेरह-2017-44/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 12 अप्रैल,2017

विषय:- श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर को सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर के स्थान पर सण्डीला, हरदोई में आसवनी स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-123 /दो-प्रा0डी0-166, दिनांक 24 दिसम्बर,2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24 दिसम्बर,2016 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि0 को शासनादेश सं0-64/2016-1932 ई-2/तेरह-2016-44/2016, दिनांक 27 अक्टूबर,2016 एवं शासनादेश सं0-76/2016-2288 ई-2/तेरह-2016-44/2016, दिनांक 09 दिसम्बर,2016 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर के स्थान पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र सण्डीला, जनपद हरदोई में नवीन स्थल पर अनाज आधारित आसवनी की स्थापना हेतु स्थल परिवर्तन की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।